

The Early Charters and the Administration of Justice by the East India Company?

ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारम्भिक चार्टर एवं न्याय प्रशासन

(The Early Charters and the Administration of Justice by the East India Company)

भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के साथ-साथ प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर भी नियंत्रण स्थापित करना प्रारम्भ किया। कंपनी को ब्रिटिश सम्राट द्वारा समय-समय पर विभिन्न चार्टर (Charters) प्रदान किए गए, जिनके माध्यम से उसे प्रशासनिक तथा न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हुईं। इन प्रारम्भिक चार्टरों ने भारत की आधुनिक न्याय व्यवस्था की नींव रखी।

1. 1600 का चार्टर (Charter of 1600)

East India Company को महारानी Queen Elizabeth I द्वारा 31 दिसम्बर 1600 को चार्टर प्रदान किया गया।

मुख्य विशेषताएँ

- कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार का एकाधिकार दिया गया।
- कंपनी को अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार मिला।
- प्रारम्भिक स्तर पर कंपनी अपने कारखानों (Factories) में छोटे-मोटे विवादों का निपटारा करती थी।

महत्व

यह चार्टर भारत में अंग्रेजी प्रशासन और न्याय व्यवस्था की शुरुआत का आधार बना।

2. 1661 का चार्टर

यह चार्टर ब्रिटिश सम्राट Charles II द्वारा प्रदान किया गया।

मुख्य विशेषताएँ

- कंपनी को दीवानी और फौजदारी मामलों में न्याय करने का अधिकार मिला।
- कंपनी अपने कर्मचारियों और अंग्रेज निवासियों को दण्ड दे सकती थी।
- गवर्नर एवं परिषद को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।

महत्व

यहीं से कंपनी केवल व्यापारिक संस्था न रहकर प्रशासनिक संस्था भी बन गई।

3. 1683 का चार्टर

मुख्य विशेषताएँ

- मद्रास में पहला औपचारिक न्यायालय स्थापित किया गया।
- कंपनी को Admiralty Court स्थापित करने का अधिकार मिला।
- व्यापारिक और समुद्री विवादों का निपटारा किया जाने लगा।

महत्व

यह भारत में अंग्रेजी विधि प्रणाली के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।

4. 1726 का चार्टर

1726 का चार्टर भारतीय न्यायिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

- Madras, Bombay और Calcutta में Mayor's Courts स्थापित किए गए।
- प्रत्येक नगर में मेयर और एल्डरमैन नियुक्त किए गए।
- अंग्रेजी कानून को औपचारिक रूप से लागू किया गया।
- अपील गवर्नर-इन-काउंसिल तथा अंत में प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी।

महत्व

- भारत में नियमित न्यायालयों की स्थापना हुई।
 - अंग्रेजी न्याय प्रणाली का औपचारिक आरम्भ हुआ।
-

5. 1753 का चार्टर

मुख्य विशेषताएँ

- Mayor's Courts की शक्तियों में संशोधन किया गया।
 - न्यायालयों पर कंपनी का अधिक नियंत्रण स्थापित हुआ।
 - भारतीयों और अंग्रेजों के मामलों में अलग-अलग व्यवस्था अपनाई गई।
-

न्याय प्रशासन (Administration of Justice)

ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे-धीरे भारत में संगठित न्याय प्रणाली स्थापित की।

(i) दीवानी न्यायालय

- संपत्ति, कर एवं नागरिक विवादों का निपटारा।

- हिंदुओं के मामलों में हिंदू कानून तथा मुसलमानों के मामलों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था।

(ii) फौजदारी न्यायालय

- अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई।
- मुस्लिम फौजदारी कानून का प्रयोग किया जाता था।

(iii) सदर अदालतें

- सदर दीवानी अदालत
- सदर निजामत अदालत

ये उच्च अपीलीय न्यायालय थे।

निष्कर्ष

ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारम्भिक चार्टरों ने भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था की नींव रखी। इन चार्टरों के माध्यम से कंपनी को प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हुईं। 1726 का चार्टर विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे भारत में अंग्रेजी न्याय प्रणाली का व्यवस्थित विकास प्रारम्भ हुआ। आगे चलकर यही व्यवस्था भारतीय न्यायपालिका के विकास का आधार बनी।

मेयर न्यायालय (Mayor's Courts)

मेयर न्यायालयों की स्थापना 1726 के चार्टर के अंतर्गत East India Company द्वारा भारत के तीन प्रमुख नगरों — Calcutta, Madras तथा Bombay — में की गई थी। इनका उद्देश्य अंग्रेजी कानून के आधार पर न्याय प्रदान करना था।

मुख्य विशेषताएँ

- प्रत्येक न्यायालय में एक मेयर तथा एल्डरमैन होते थे।
- ये दीवानी मामलों (Civil Cases) की सुनवाई करते थे।
- न्यायालय अंग्रेजी कानून के अनुसार कार्य करते थे।
- इनके निर्णय के विरुद्ध अपील गवर्नर-इन-काउंसिल में की जा सकती थी।

महत्व

- भारत में संगठित अंग्रेजी न्याय प्रणाली की शुरुआत हुई।
- न्याय प्रशासन अधिक व्यवस्थित बना।
- आधुनिक भारतीय न्यायपालिका के विकास का आधार तैयार हुआ।

निष्कर्ष

मेयर न्यायालय भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम नियमित न्यायालय थे, जिन्होंने भारत की आधुनिक न्याय व्यवस्था की नींव रखी।

वॉरेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार एवं अदालत प्रणाली का उदय

(Judicial Reforms of Warren Hastings and the Advent of Adalat System)

Warren Hastings ने 1772 ई. में भारत की न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक सुधार किए। उनका उद्देश्य न्याय प्रणाली को संगठित करना, भ्रष्टाचार कम करना तथा कंपनी के प्रशासन को मजबूत बनाना था। इन्हीं सुधारों के कारण अदालत (Adalat) प्रणाली की शुरुआत हुई।

वॉरेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार

1. दीवानी अदालत (Diwani Adalat)

- प्रत्येक जिले में दीवानी अदालत स्थापित की गई।
- यह अदालत भूमि, संपत्ति, कर तथा नागरिक विवादों की सुनवाई करती थी।
- हिंदुओं के मामलों में हिंदू कानून तथा मुसलमानों के मामलों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था।

2. फौजदारी अदालत (Faujdari Adalat)

- आपराधिक मामलों के लिए फौजदारी अदालत स्थापित की गई।
- हत्या, चोरी, डकैती आदि अपराधों की सुनवाई की जाती थी।
- मुस्लिम फौजदारी कानून के आधार पर निर्णय दिए जाते थे।

3. सदर अदालतों की स्थापना

- **सदर दीवानी अदालत** — दीवानी मामलों की उच्च अपीलीय अदालत।
- **सदर निजामत अदालत** — फौजदारी मामलों की उच्च अदालत।

4. न्याय प्रशासन में सुधार

- जिला कलेक्टरों को न्यायिक कार्य सौंपे गए।
- न्यायालयों को नियमित एवं संगठित रूप दिया गया।
- भ्रष्टाचार और मनमानी को कम करने का प्रयास किया गया।

अदालत (Adalat) प्रणाली का उदय

वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधारों के परिणामस्वरूप भारत में 'अदालत प्रणाली' (Adalat System) की शुरुआत हुई, जिसमें दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की स्पष्ट व्यवस्था की गई। इससे न्याय प्रशासन अधिक संगठित और प्रभावी बना।

निष्कर्ष

वॉरेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार भारतीय न्यायिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने अदालत प्रणाली की नींव रखी, जिसने आगे चलकर आधुनिक भारतीय न्यायपालिका के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

रेगुलेटिंग एक्ट, 1773

(The Regulating Act, 1773)

Regulating Act 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला महत्वपूर्ण कानून था, जिसका उद्देश्य East India Company के प्रशासन और कार्यों को नियंत्रित करना था। कंपनी में बढ़ते भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अव्यवस्था को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया।

रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 की मुख्य विशेषताएँ

1. गवर्नर जनरल का पद

- बंगाल के गवर्नर को "गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल" बनाया गया।
- Warren Hastings भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
- उनकी सहायता के लिए चार सदस्यीय परिषद बनाई गई।

2. मद्रास और बम्बई पर नियंत्रण

- Madras और Bombay की प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया।
- इससे प्रशासन में एकता स्थापित हुई।

3. सुप्रीम कोर्ट की स्थापना

- Calcutta में 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया।
- इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश होते थे।

4. कंपनी पर संसदीय नियंत्रण

- ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने प्रशासनिक और वित्तीय विवरण ब्रिटिश सरकार को भेजने पड़े।
- कंपनी के कार्यों पर संसद का नियंत्रण बढ़ा।

महत्व

- यह भारत के संवैधानिक इतिहास का पहला महत्वपूर्ण कदम था।
- कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण प्रारम्भ हुआ।
- भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी।
- आधुनिक न्यायिक व्यवस्था के विकास में सहायता मिली।

दोष (Drawbacks)

- गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के बीच अक्सर मतभेद होते थे।

- सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की परिषद के अधिकार स्पष्ट नहीं थे।

निष्कर्ष

रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 भारतीय प्रशासनिक और न्यायिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण कानून था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित किया और भारत में केंद्रीकृत प्रशासन तथा आधुनिक न्याय व्यवस्था की नींव रखी।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784

(Pitt's India Act, 1784)

Pitt's India Act 1784 ब्रिटिश संसद द्वारा 1784 में पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। यह अधिनियम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री William Pitt the Younger के नाम पर रखा गया। इसका उद्देश्य East India Company के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का अधिक नियंत्रण स्थापित करना था।

पिट्स इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषताएँ

1. बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना

- ब्रिटिश सरकार ने "Board of Control" की स्थापना की।
- यह बोर्ड भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक मामलों की निगरानी करता था।
- इससे कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण बढ़ गया।

2. द्वैध शासन व्यवस्था (Dual System)

- व्यापारिक कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रहे।
- राजनीतिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया।

3. गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि

- बंगाल के गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार दिए गए।
- मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियाँ उसके अधीन कर दी गईं।

4. भारतीय क्षेत्रों को "ब्रिटिश अधीन क्षेत्र" माना गया

- पहली बार भारत में कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश अधीन क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया गया।

महत्व

- भारत के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत हुआ।
- कंपनी की राजनीतिक शक्ति सीमित होने लगी।
- भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को बल मिला।
- आगे के संवैधानिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ।

दोष

- द्वैध शासन व्यवस्था स्पष्ट नहीं थी।
- Board of Control और कंपनी के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती थी।

निष्कर्ष

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का प्रभाव बढ़ाया तथा भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव को मजबूत किया।

एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781

(The Act of Settlement, 1781)

Act of Settlement 1781 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसे "Amending Act of 1781" भी कहा जाता है। यह अधिनियम Regulating Act 1773 की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था।

पृष्ठभूमि

1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत Calcutta में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। परन्तु सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की परिषद के अधिकारों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गए। इन समस्याओं को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया।

मुख्य विशेषताएँ

1. सुप्रीम कोर्ट के अधिकार सीमित किए गए

- सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र केवल कलकत्ता नगर तक सीमित कर दिया गया।
- भारतीयों के व्यक्तिगत मामलों में उनके धार्मिक एवं सामाजिक कानून लागू करने की व्यवस्था की गई।

2. गवर्नर जनरल एवं परिषद को संरक्षण

- गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सरकारी कार्यों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया।

3. राजस्व मामलों में हस्तक्षेप समाप्त

- सुप्रीम कोर्ट को राजस्व (Revenue) मामलों में हस्तक्षेप करने से रोका गया।

4. भारतीय कानूनों का सम्मान

- हिंदुओं के मामलों में हिंदू कानून तथा मुसलमानों के मामलों में मुस्लिम कानून लागू करने की पुष्टि की गई।

महत्व

- सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका के बीच संघर्ष कम हुआ।
- न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों की सीमाएँ स्पष्ट हुईं।
- भारतीय परंपराओं एवं धार्मिक कानूनों को मान्यता मिली।

निष्कर्ष

एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 भारतीय न्यायिक इतिहास में महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसने रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर किया तथा भारत में न्यायपालिका और प्रशासन के बीच संतुलन स्थापित किया।

कॉर्नवालिस एवं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के न्यायिक सुधार

(Judicial Reforms of Cornwallis and Lord William Bentinck)

भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए Charles Cornwallis तथा Lord William Bentinck ने महत्वपूर्ण न्यायिक सुधार किए। इन सुधारों ने भारतीय न्याय व्यवस्था को अधिक संगठित, नियमित और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1. लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार

(Judicial Reforms of Cornwallis)

लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 से 1793 के बीच कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिन्हें "कॉर्नवालिस कोड" (Cornwallis Code) कहा जाता है।

मुख्य सुधार

(i) न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण

- कलेक्टरों से न्यायिक कार्य वापस ले लिए गए।
- न्यायपालिका को प्रशासन से अलग किया गया।

(ii) दीवानी न्यायालयों की स्थापना

- जिला, प्रांतीय और सदर दीवानी अदालतों की स्थापना की गई।
- दीवानी मामलों की सुनवाई व्यवस्थित रूप से होने लगी।

(iii) फौजदारी न्यायालयों में सुधार

- प्रांतीय फौजदारी अदालतें स्थापित की गईं।
- सर्वोच्च फौजदारी अदालत "सदर निजामत अदालत" थी।

(iv) भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास

- न्यायाधीशों को उच्च वेतन दिया गया।
- रिश्तखोरी और निजी व्यापार पर रोक लगाई गई।

(v) अंग्रेजी अधिकारियों की नियुक्ति

- उच्च न्यायिक पदों पर अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति की गई।

महत्व

- न्याय व्यवस्था अधिक निष्पक्ष और संगठित बनी।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बल मिला।

2. लॉर्ड विलियम बेंटिंक के न्यायिक सुधार

(Judicial Reforms of Lord William Bentinck)

लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 से 1835 के बीच न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।

मुख्य सुधार

(i) भारतीयों की नियुक्ति

- भारतीयों को निम्न न्यायिक पदों पर नियुक्त किया गया।
- इससे न्याय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ी।

(ii) प्रांतीय अदालतों का उन्मूलन

- प्रांतीय अपीलीय अदालतों को समाप्त किया गया।
- न्याय प्रणाली को सरल और कम खर्चीला बनाया गया।

(iii) इलाहाबाद सदर अदालत की स्थापना

- Allahabad में सदर दीवानी एवं सदर निजामत अदालत स्थापित की गई।

(iv) स्थानीय भाषा का प्रयोग

- न्यायालयों में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया गया।

महत्व

- न्याय व्यवस्था अधिक सरल और सुलभ बनी।
- भारतीयों को प्रशासनिक अवसर प्राप्त हुए।

निष्कर्ष

कॉर्नवालिस और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के न्यायिक सुधार भारतीय न्यायिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। कॉर्नवालिस ने न्यायपालिका को संगठित एवं स्वतंत्र बनाया, जबकि बेंटिंक ने उसे सरल और जनसुलभ बनाने का प्रयास किया। इन सुधारों ने आधुनिक भारतीय न्यायपालिका की नींव को मजबूत किया।

उच्च न्यायालय (High Courts)

Indian High Courts Act 1861 के अंतर्गत भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा Calcutta, Bombay तथा Madras में 1862 ई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। इन न्यायालयों ने सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत तथा सुप्रीम कोर्ट का स्थान लिया।

मुख्य विशेषताएँ

- प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे।
- इन्हें दीवानी, फौजदारी, अपीलीय तथा लेखाधिकार (Writ Jurisdiction) प्राप्त था।
- उच्च न्यायालय अंग्रेजी कानून के अनुसार कार्य करते थे।
- न्यायपालिका को अधिक संगठित और एकीकृत स्वरूप मिला।

महत्व

- भारत में आधुनिक न्यायिक प्रणाली को मजबूती मिली।
- विभिन्न न्यायालयों को एकीकृत कर न्याय प्रशासन को सरल बनाया गया।
- आगे चलकर भारतीय न्यायपालिका के विकास का आधार बने।

निष्कर्ष

उच्च न्यायालयों की स्थापना भारतीय न्यायिक इतिहास में महत्वपूर्ण कदम था। इससे न्याय व्यवस्था अधिक प्रभावी, संगठित और आधुनिक बनी।

प्रिवी काउंसिल (Privy Council)

Judicial Committee of the Privy Council ब्रिटिश शासनकाल में भारत की सर्वोच्च अपीलीय संस्था थी। इसकी स्थापना 1833 ई में ब्रिटिश संसद द्वारा की गई थी। भारत के उच्च न्यायालयों तथा अन्य न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अंतिम अपील प्रिवी काउंसिल में की जाती थी।

मुख्य विशेषताएँ

- यह लंदन में स्थित थी।
- भारत सहित ब्रिटिश साम्राज्य के सभी उपनिवेशों की सर्वोच्च अपीलीय अदालत थी।
- इसमें विधि विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त किए जाते थे।
- भारतीय न्यायालयों के महत्वपूर्ण मामलों का अंतिम निर्णय यही देती थी।

कार्य

- उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना।
- कानून की व्याख्या करना।
- न्यायिक सिद्धांतों का विकास करना।

महत्त्व

- भारत में एक समान न्यायिक सिद्धांतों का विकास हुआ।
- आधुनिक भारतीय विधि व्यवस्था को प्रभावित किया।
- कई महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत प्रिवी काउंसिल के निर्णयों से विकसित हुए।

समाप्ति

भारत की स्वतंत्रता के बाद Abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1949 द्वारा प्रिवी काउंसिल में अपील समाप्त कर दी गई और Supreme Court of India भारत की सर्वोच्च न्यायालय बन गई।

निष्कर्ष

प्रिवी काउंसिल ब्रिटिश काल में भारत की सर्वोच्च अपीलीय संस्था थी, जिसने भारतीय न्यायिक प्रणाली और विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

(The Supreme Court of India)

Supreme Court of India भारत का सर्वोच्च न्यायालय तथा देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ हुई। इसने Federal Court of India तथा Judicial Committee of the Privy Council का स्थान लिया।

संवैधानिक आधार

सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग V, अध्याय IV में अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है।

संरचना

- एक मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction)

1. मूल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction)

- केंद्र और राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई।

2. अपीलीय अधिकार क्षेत्र (Appellate Jurisdiction)

- उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना।

3. परामर्शदात्री अधिकार (Advisory Jurisdiction)

- राष्ट्रपति महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय से सलाह मांग सकता है।

4. रिट अधिकार (Writ Jurisdiction)

- मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करना।

मुख्य कार्य

- संविधान की रक्षा करना।
- मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना।
- कानून की व्याख्या करना।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखना।

महत्व

- यह संविधान का संरक्षक (Guardian of Constitution) है।
- लोकतंत्र और विधि के शासन की रक्षा करता है।
- नागरिकों के अधिकारों की अंतिम सुरक्षा प्रदान करता है।

निष्कर्ष

भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, जो संविधान की रक्षा तथा न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भारतीय लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है।

विधि आयोग एवं विधियों का संहिताकरण

(The Law Commissions and Codification)

ब्रिटिश शासनकाल में भारत की कानून व्यवस्था को एकरूप और व्यवस्थित बनाने के लिए विधि आयोगों (Law Commissions) की स्थापना की गई। इन आयोगों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कानूनों को संहिताबद्ध (Codify) करना तथा एक समान कानूनी व्यवस्था स्थापित करना था।

विधि आयोग (Law Commissions)

प्रथम विधि आयोग (First Law Commission – 1834)

Charter Act 1833 के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 में की गई। इसके अध्यक्ष Thomas Babington Macaulay थे।

कार्य

- भारतीय कानूनों का अध्ययन करना।
- कानूनों को सरल और एकरूप बनाना।
- संहिताओं (Codes) का निर्माण करना।

उपलब्धि

- Indian Penal Code 1860 का प्रारूप तैयार किया गया।
-

द्वितीय विधि आयोग (Second Law Commission)

- सिविल प्रक्रिया एवं अन्य कानूनों में सुधार का कार्य किया।
 - न्याय व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया।
-

तृतीय एवं चतुर्थ विधि आयोग

- दंड प्रक्रिया, साक्ष्य तथा संविदा कानूनों के विकास में योगदान दिया।
-

संहिताकरण (Codification)

संहिताकरण का अर्थ है — कानूनों को व्यवस्थित रूप से लिखित रूप में एकत्रित करना।

ब्रिटिश शासन में कई महत्वपूर्ण विधियों का संहिताकरण किया गया—

प्रमुख संहिताएँ

1. भारतीय दंड संहिता, 1860

Indian Penal Code 1860

- अपराध एवं दंड से संबंधित कानून।

2. दंड प्रक्रिया संहिता

Code of Criminal Procedure

- आपराधिक मामलों की प्रक्रिया निर्धारित करती है।

3. सिविल प्रक्रिया संहिता

Code of Civil Procedure

- दीवानी मामलों की प्रक्रिया निर्धारित करती है।

4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

Indian Evidence Act 1872

- न्यायालय में साक्ष्य से संबंधित नियम।

5. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

Indian Contract Act 1872

- अनुबंधों से संबंधित कानून।

महत्व

- पूरे भारत में एक समान कानून लागू हुए।
 - न्याय प्रशासन सरल और व्यवस्थित बना।
 - कानून लिखित और स्पष्ट रूप में उपलब्ध हुए।
 - आधुनिक भारतीय विधि व्यवस्था की नींव पड़ी।
-

निष्कर्ष

विधि आयोगों और संहिताकरण ने भारतीय न्याय व्यवस्था को आधुनिक एवं संगठित स्वरूप प्रदान किया। इन आयोगों द्वारा बनाए गए कानून आज भी भारतीय विधि प्रणाली का आधार हैं।

आपराधिक विधि का विकास

(Development of Criminal Law)

भारत में आपराधिक विधि (Criminal Law) का विकास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक क्रमिक रूप से हुआ। प्रारम्भ में अपराध और दंड की व्यवस्था धार्मिक ग्रंथों तथा प्रथाओं पर आधारित थी, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में इसे व्यवस्थित एवं संहिताबद्ध रूप दिया गया।

1. प्राचीन काल में आपराधिक विधि

प्राचीन भारत में अपराध एवं दंड की व्यवस्था धर्मशास्त्रों और स्मृतियों पर आधारित थी।

मुख्य विशेषताएँ

- अपराध को धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध माना जाता था।
 - दंड व्यवस्था का उद्देश्य सुधार एवं सामाजिक संतुलन बनाए रखना था।
 - Manusmriti तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड व्यवस्था का उल्लेख मिलता है।
-

2. मुस्लिम काल में आपराधिक विधि

मुस्लिम शासनकाल में इस्लामी कानून (Islamic Law) लागू था।

मुख्य विशेषताएँ

- कुरान एवं शरीयत के आधार पर दंड दिए जाते थे।
- काजी न्याय प्रदान करते थे।

- हत्या, चोरी, व्यभिचार आदि अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान था।
-

3. ब्रिटिश काल में आपराधिक विधि का विकास

East India Company के शासनकाल में आधुनिक आपराधिक न्याय व्यवस्था का विकास हुआ।

(i) वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधार

Warren Hastings ने 1772 में फौजदारी अदालतों की स्थापना की।

(ii) कॉर्नवालिस के सुधार

Charles Cornwallis ने फौजदारी न्यायालयों को संगठित किया और भ्रष्टाचार कम करने का प्रयास किया।

(iii) भारतीय दंड संहिता, 1860

Indian Penal Code 1860 भारत की पहली व्यापक आपराधिक संहिता थी। इसका प्रारूप Thomas Babington Macaulay की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने तैयार किया।

IPC की विशेषताएँ

- अपराधों की स्पष्ट परिभाषा।
- अपराधों के लिए निश्चित दंड।
- पूरे भारत में एक समान आपराधिक कानून।

(iv) दंड प्रक्रिया संहिता

Code of Criminal Procedure द्वारा आपराधिक मामलों की प्रक्रिया निर्धारित की गई।

(v) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

Indian Evidence Act 1872 ने साक्ष्य संबंधी नियम निर्धारित किए।

4. स्वतंत्र भारत में आपराधिक विधि

स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुसार आपराधिक कानूनों में कई सुधार किए गए।

मुख्य परिवर्तन

- मौलिक अधिकारों की सुरक्षा।
- मानवाधिकारों पर बल।
- न्यायिक सुधार एवं नई दंड प्रक्रिया।

हाल के वर्षों में भारतीय दंड संहिता के स्थान पर नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं।

महत्त्व

- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता।
 - अपराध नियंत्रण एवं न्याय प्रदान करना।
 - नागरिकों के अधिकारों की रक्षा।
-

निष्कर्ष

भारत में आपराधिक विधि का विकास प्राचीन धार्मिक व्यवस्था से आधुनिक संहिताबद्ध कानूनों तक हुआ है। ब्रिटिश शासनकाल में इसकी मजबूत नींव रखी गई, जो आज आधुनिक भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का आधार है।

भारत में संविदा विधि एवं साक्ष्य विधि

(Law of Contract and Law of Evidence in India)

भारत की विधि व्यवस्था में संविदा विधि (Law of Contract) और साक्ष्य विधि (Law of Evidence) का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये दोनों कानून न्याय प्रशासन तथा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।

1. संविदा विधि (Law of Contract)

संविदा (Contract) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ऐसा वैध समझौता है, जिसे कानून द्वारा लागू किया जा सके।

भारत में संविदा कानून का मुख्य स्रोत है—

Indian Contract Act 1872

संविदा की परिभाषा

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2(h) के अनुसार—

“ऐसा समझौता जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो, संविदा कहलाता है।”

संविदा के आवश्यक तत्व

1. प्रस्ताव (Offer)
2. स्वीकृति (Acceptance)
3. प्रतिफल (Consideration)
4. पक्षकारों की क्षमता (Competency of Parties)
5. स्वतंत्र सहमति (Free Consent)
6. वैध उद्देश्य (Lawful Object)

संविदा के प्रकार

- वैध संविदा
- शून्य संविदा
- शून्यनीय संविदा
- व्यक्त एवं निहित संविदा

महत्व

- व्यापार एवं वाणिज्य को सुरक्षित बनाता है।
- पक्षकारों के अधिकार एवं कर्तव्यों को निर्धारित करता है।

2. साक्ष्य विधि (Law of Evidence)

साक्ष्य विधि न्यायालय में तथ्यों को सिद्ध करने से संबंधित नियमों का समूह है।

भारत में साक्ष्य संबंधी कानून का मुख्य स्रोत है —

Indian Evidence Act 1872

यह अधिनियम James Fitzjames Stephen द्वारा तैयार किया गया था।

साक्ष्य की परिभाषा

साक्ष्य वह माध्यम है जिसके द्वारा न्यायालय किसी तथ्य की सत्यता का निर्धारण करता है।

साक्ष्य के प्रकार

1. मौखिक साक्ष्य (Oral Evidence)
2. दस्तावेजी साक्ष्य (Documentary Evidence)
3. प्रत्यक्ष साक्ष्य (Direct Evidence)
4. परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence)

साक्ष्य विधि के मुख्य सिद्धांत

- प्रासंगिक तथ्य ही स्वीकार किए जाते हैं।
- साक्ष्य विश्वसनीय एवं वैध होना चाहिए।
- आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाता है।

महत्व

- न्यायालय को सत्य तक पहुँचने में सहायता।
- निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना।

- झूठे दावों एवं आरोपों को रोकना।

निष्कर्ष

संविदा विधि और साक्ष्य विधि भारतीय न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग हैं। संविदा विधि नागरिक एवं व्यापारिक संबंधों को नियंत्रित करती है, जबकि साक्ष्य विधि न्यायालय को सत्य एवं न्याय तक पहुँचने में सहायता प्रदान करती है। दोनों कानून आधुनिक भारतीय विधि व्यवस्था की मजबूत नींव हैं।

हिन्दुओं एवं मुसलमानों के व्यक्तिगत विधि

(Personal Laws of Hindus and Mohammedans)

व्यक्तिगत विधि (Personal Law) से आशय उन कानूनों से है जो किसी विशेष धर्म के लोगों के विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण-पोषण आदि व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करते हैं। भारत में हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं।

1. हिन्दू व्यक्तिगत विधि (Hindu Personal Law)

हिन्दू विधि हिन्दुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों पर लागू होती है।

स्रोत (Sources)

- श्रुति
- स्मृति
- प्रथाएँ एवं परंपराएँ
- न्यायिक निर्णय
- विधायन (Legislation)

प्रमुख अधिनियम

1. Hindu Marriage Act 1955

- विवाह, तलाक एवं वैवाहिक अधिकारों से संबंधित।

2. Hindu Succession Act 1956

- संपत्ति एवं उत्तराधिकार से संबंधित।

3. Hindu Adoption and Maintenance Act 1956

- दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण से संबंधित।

4. Hindu Minority and Guardianship Act 1956

- संरक्षकता एवं अल्पसंख्यक संबंधी प्रावधान।

मुख्य विशेषताएँ

- विवाह को संस्कार माना जाता है।
- दत्तक ग्रहण की व्यवस्था मान्य है।
- संयुक्त परिवार एवं सहभोजिता (Coparcenary) की अवधारणा।

2. मुस्लिम व्यक्तिगत विधि (Mohammedan Personal Law)

मुस्लिम विधि इस्लामी सिद्धांतों एवं शरीयत पर आधारित है।

स्रोत

- कुरान
- हदीस
- इज्मा
- कियास

प्रमुख अधिनियम**1. Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937**

- मुस्लिम व्यक्तिगत मामलों में शरीयत लागू करने का प्रावधान।

2. Dissolution of Muslim Marriages Act 1939

- मुस्लिम महिलाओं को तलाक के अधिकार प्रदान करता है।

मुख्य विशेषताएँ

- विवाह (निकाह) एक सिविल अनुबंध माना जाता है।
- मेहर (Dower) का प्रावधान।
- उत्तराधिकार के निश्चित नियम।
- कुछ परिस्थितियों में बहुविवाह की अनुमति।

हिन्दू एवं मुस्लिम विधि में अंतर

आधार	हिन्दू विधि	मुस्लिम विधि
विवाह	संस्कार	अनुबंध
दत्तक ग्रहण	मान्य	पारंपरिक रूप से मान्य नहीं

आधार	हिन्दू विधि	मुस्लिम विधि
स्रोत	धर्मशास्त्र एवं अधिनियम	कुरान एवं शरीयत
उत्तराधिकार सहभोजिता की अवधारणा	निश्चित हिस्सेदारी	

महत्व

- धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा।
- सामाजिक एवं पारिवारिक मामलों का नियमन।
- विभिन्न समुदायों की परंपराओं का संरक्षण।

निष्कर्ष

हिन्दू और मुस्लिम व्यक्तिगत विधियाँ भारत की बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक व्यवस्था को दर्शाती हैं। ये कानून विवाह, उत्तराधिकार एवं पारिवारिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं तथा समाज में व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

*****-----*****-----

CONSTITUTIONAL HISTORY

देशी रियासतों की स्थिति एवं परमाउंटसी सिद्धांत का विकास

(Position of Native States and the Development of the Doctrine of Paramountcy)

ब्रिटिश शासनकाल में भारत दो भागों में विभाजित था—

1. ब्रिटिश भारत (British India)
2. देशी रियासतें (Native or Princely States)

देशी रियासतें वे राज्य थे जहाँ स्थानीय राजा, नवाब या महाराजा शासन करते थे, लेकिन वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे। ब्रिटिश सरकार ने इन राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए "परमाउंटसी का सिद्धांत" (Doctrine of Paramountcy) विकसित किया।

देशी रियासतों की स्थिति (Position of Native States)

भारत में लगभग 562 देशी रियासतें थीं। इनमें Hyderabad, Kashmir, Mysore तथा Baroda जैसी बड़ी रियासतें शामिल थीं।

मुख्य विशेषताएँ

- रियासतों के शासकों को आंतरिक प्रशासन की स्वतंत्रता प्राप्त थी।

- विदेश नीति एवं रक्षा पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था।
 - रियासतों को ब्रिटिश सम्राट की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी।
 - ब्रिटिश सरकार रियासतों के उत्तराधिकार एवं शासन में हस्तक्षेप कर सकती थी।
-

परमाउंटसी का सिद्धांत (Doctrine of Paramountcy)

“Paramountcy” का अर्थ है — सर्वोच्चता या अधिराज्य।

इस सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश सरकार भारत की सभी देशी रियासतों पर सर्वोच्च सत्ता रखती थी। यद्यपि रियासतों को सीमित आंतरिक स्वायत्तता दी गई थी, फिर भी अंतिम अधिकार ब्रिटिश सरकार के पास था।

परमाउंटसी सिद्धांत का विकास

1. सहायक संधि प्रणाली (Subsidiary Alliance)

Richard Wellesley ने सहायक संधि प्रणाली प्रारम्भ की।

मुख्य शर्तें

- रियासतें ब्रिटिश सेना रखेंगी।
- सेना का खर्च रियासत को देना होगा।
- बिना ब्रिटिश अनुमति किसी अन्य राज्य से संधि नहीं की जा सकती थी।

परिणाम

- देशी राज्यों की स्वतंत्रता कम हो गई।
 - ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ गया।
-

2. लैप्स का सिद्धांत (Doctrine of Lapse)

Dalhousie ने यह सिद्धांत लागू किया।

मुख्य प्रावधान

- यदि किसी राज्य का शासक बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मर जाता था, तो वह राज्य ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था।

प्रभावित राज्य

- झाँसी
- सतारा

- नागपुर

प्रभाव

- देशी राज्यों में असंतोष फैला।
 - 1857 के विद्रोह का एक कारण बना।
-

3. 1858 के बाद की नीति

Government of India Act 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने देशी राज्यों को संरक्षण देने का आश्वासन दिया।

विशेषताएँ

- दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मान्यता दी गई।
 - लेकिन ब्रिटिश सर्वोच्चता बनी रही।
-

परमाउंटसी सिद्धांत की विशेषताएँ

- ब्रिटिश सरकार सर्वोच्च शक्ति थी।
 - देशी राज्यों की संप्रभुता सीमित थी।
 - ब्रिटिश सरकार किसी भी समय हस्तक्षेप कर सकती थी।
 - रक्षा एवं विदेश नीति पर पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिशों का था।
-

महत्व

- ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ।
 - भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई।
 - देशी राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त होती गई।
-

निष्कर्ष

देशी रियासतें ब्रिटिश शासन के अधीन अर्ध-स्वतंत्र राज्य थीं। परमाउंटसी के सिद्धांत के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने उन पर सर्वोच्च नियंत्रण स्थापित किया। इस नीति ने ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत किया, परंतु भारतीय राज्यों की वास्तविक स्वतंत्रता समाप्त कर दी।

विधायी संस्थाओं का विकास

(Development of Legislative Institutions)

भारत में विधायी संस्थाओं (Legislative Institutions) का विकास ब्रिटिश शासनकाल में धीरे-धीरे हुआ। प्रारम्भ में सारी विधायी शक्ति East India Company के हाथों में थी, लेकिन समय के साथ विभिन्न अधिनियमों द्वारा भारतीयों को भी विधायी प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया गया। इन सुधारों ने आधुनिक भारतीय संसद की नींव रखी।

1. रेगुलेटिंग एक्ट, 1773

(Regulating Act, 1773)

Regulating Act 1773 द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया तथा उसकी परिषद को कानून बनाने की शक्ति दी गई।

महत्व

- भारत में केंद्रीकृत विधायी व्यवस्था की शुरुआत हुई।
-

2. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784

(Pitt's India Act, 1784)

Pitt's India Act 1784 द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया।

महत्व

- विधायी मामलों में ब्रिटिश संसद का प्रभाव बढ़ा।
-

3. चार्टर एक्ट, 1833

(Charter Act, 1833)

Charter Act 1833 भारतीय विधायी इतिहास का महत्वपूर्ण अधिनियम था।

मुख्य विशेषताएँ

- गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 'गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया' बनाया गया।
- पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति केंद्र को दी गई।
- विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया।

महत्व

- भारत में केंद्रीकृत विधानमंडल की स्थापना हुई।
-

4. चार्टर एक्ट, 1853

(Charter Act, 1853)

मुख्य विशेषताएँ

- विधायी और कार्यपालिका कार्यों को अलग किया गया।
- विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया गया।

महत्व

- आधुनिक विधायिका की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
-

5. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

(Indian Councils Act, 1861)

Indian Councils Act 1861 द्वारा भारतीयों को पहली बार विधायी परिषदों में शामिल किया गया।

महत्व

- भारतीयों की विधायी प्रक्रिया में भागीदारी प्रारम्भ हुई।
-

6. भारतीय परिषद अधिनियम, 1892

(Indian Councils Act, 1892)

मुख्य विशेषताएँ

- परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
- बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया।

महत्व

- सीमित लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकास।
-

7. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909

(Morley-Minto Reforms)

Indian Councils Act 1909 द्वारा चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई।

मुख्य विशेषताएँ

- विधायी परिषदों का विस्तार।
 - पृथक निर्वाचन प्रणाली (Separate Electorates) की शुरुआत।
-

8. भारत सरकार अधिनियम, 1919

(Government of India Act, 1919)

Government of India Act 1919 द्वारा द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल स्थापित किया गया।

महत्व

- भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि।
-

9. भारत सरकार अधिनियम, 1935

(Government of India Act, 1935)

Government of India Act 1935 भारत का सबसे विस्तृत संवैधानिक अधिनियम था।

मुख्य विशेषताएँ

- संघीय व्यवस्था का प्रावधान।
- प्रांतीय स्वायत्तता।
- संघीय विधायिका की स्थापना।

महत्व

- आधुनिक भारतीय संसद का आधार बना।
-

निष्कर्ष

भारत में विधायी संस्थाओं का विकास ब्रिटिश शासनकाल में विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से हुआ। इन सुधारों ने भारतीयों को धीरे-धीरे शासन में भागीदारी का अवसर दिया तथा आधुनिक लोकतांत्रिक एवं संसदीय प्रणाली की नींव रखी।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

(Indian Councils Act, 1861)

Indian Councils Act 1861 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसका उद्देश्य भारत के प्रशासन में भारतीयों को सीमित भागीदारी देना तथा विधायी व्यवस्था को संगठित करना था। यह अधिनियम Government of India Act 1858 के बाद पारित किया गया।

मुख्य विशेषताएँ

1. विधायी परिषद का विस्तार

- गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधायी कार्यों के लिए अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया।
- परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए जा सकते थे।

2. भारतीयों की भागीदारी

- पहली बार भारतीयों को विधायी परिषद में नामित करने की अनुमति दी गई।
- Raja of Benaras तथा Maharaja of Patiala जैसे भारतीयों को परिषद में शामिल किया गया।

3. प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना

- Bombay और Madras में विधायी शक्तियाँ पुनः स्थापित की गईं।
- बाद में अन्य प्रांतों में भी विधान परिषदों की स्थापना हुई।

4. अध्यादेश जारी करने की शक्ति

- गवर्नर जनरल को आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश (Ordinance) जारी करने का अधिकार दिया गया।
- अध्यादेश की वैधता छह महीने तक रहती थी।

5. पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता

- प्रशासनिक कार्यों को विभिन्न विभागों में बाँटने की व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिली।

महत्व

- भारतीयों की विधायी प्रक्रिया में भागीदारी की शुरुआत हुई।
- भारत में विकेन्द्रीकृत विधायी व्यवस्था को बढ़ावा मिला।
- आधुनिक विधान परिषदों के विकास की नींव पड़ी।
- ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के बीच सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया गया।

दोष

- भारतीय सदस्यों की शक्ति बहुत सीमित थी।
- परिषद केवल सलाहकारी संस्था थी।
- वास्तविक शक्ति ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में ही रही।

निष्कर्ष

भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 भारतीय संवैधानिक इतिहास का महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसने भारतीयों को पहली बार विधायी संस्थाओं में स्थान दिया तथा आधुनिक विधायी प्रणाली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

भारत सरकार अधिनियम, 1909

(Government of India Act, 1909 / Morley-Minto Reforms)

Indian Councils Act 1909 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसे "मॉर्ले-मिंटो सुधार" (Morley-Minto Reforms) भी कहा जाता है। इसका नाम John Morley तथा Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound, 4th Earl of Minto के नाम पर रखा गया।

इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीयों को सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना तथा प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ाना था।

मुख्य विशेषताएँ

1. विधायी परिषदों का विस्तार

- केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
- गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई।

2. चुनाव प्रणाली की शुरुआत

- पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव (Indirect Election) की व्यवस्था शुरू की गई।
- कुछ सदस्यों का चुनाव विभिन्न वर्गों एवं संस्थाओं द्वारा किया जाने लगा।

3. पृथक निर्वाचन प्रणाली (Separate Electorates)

- मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई।
- मुस्लिम मतदाता केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही चुन सकते थे।

4. सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि

- सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला।
- वे प्रश्न पूछ सकते थे तथा प्रस्ताव रख सकते थे।

5. भारतीयों की कार्यपालिका में भागीदारी

- पहली बार एक भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया।
- Satyendra Prasanna Sinha को कानून सदस्य बनाया गया।

महत्व

- भारत में प्रतिनिधिक शासन की शुरुआत हुई।
- भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी।
- चुनाव प्रणाली का विकास प्रारम्भ हुआ।

दोष

- पृथक निर्वाचन प्रणाली ने साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया।
- भारतीयों को वास्तविक शक्ति नहीं दी गई।
- परिषदों की शक्तियाँ बहुत सीमित थीं।

निष्कर्ष

भारत सरकार अधिनियम, 1909 भारतीय संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण कदम था। इसने भारतीयों को सीमित राजनीतिक अधिकार दिए, परंतु पृथक निर्वाचन प्रणाली के कारण भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिक विभाजन भी उत्पन्न हुआ।

भारत सरकार अधिनियम, 1919

(Government of India Act, 1919)

Government of India Act 1919 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसे "मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार" (Montagu-Chelmsford Reforms) भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य भारतीयों को प्रशासन में अधिक भागीदारी देना तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कदम बढ़ाना था।

इस अधिनियम का नाम Edwin Montagu तथा Freeman Freeman-Thomas, 1st Marquess of Willingdon से संबंधित सुधारों के आधार पर प्रसिद्ध हुआ।

मुख्य विशेषताएँ

1. द्वैध शासन प्रणाली (Diarchy)

- प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई।
- प्रांतीय विषयों को दो भागों में बाँटा गया—
 1. आरक्षित विषय (Reserved Subjects)
 2. हस्तांतरित विषय (Transferred Subjects)

आरक्षित विषय

- पुलिस
- न्याय
- भूमि राजस्व

इन पर गवर्नर और उसके अधिकारी नियंत्रण रखते थे।

हस्तांतरित विषय

- शिक्षा

- स्वास्थ्य
- स्थानीय स्वशासन

इनका संचालन भारतीय मंत्रियों द्वारा किया जाता था।

2. केंद्रीय विधानमंडल का द्विसदनीय स्वरूप

- पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया—
 1. राज्य परिषद (Council of State)
 2. केंद्रीय विधान सभा (Legislative Assembly)
-

3. मताधिकार का विस्तार

- सीमित रूप से मताधिकार प्रदान किया गया।
 - संपत्ति, शिक्षा एवं कर के आधार पर मतदान का अधिकार दिया गया।
-

4. पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार

- मुसलमानों के अतिरिक्त सिखों, एंग्लो-इंडियनों एवं अन्य वर्गों को भी पृथक निर्वाचन दिया गया।
-

5. लोक सेवा आयोग की स्थापना

- भारत में लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) की स्थापना का प्रावधान किया गया।
-

महत्व

- भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ी।
 - संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई।
 - प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
-

दोष

- द्वैध शासन व्यवस्था जटिल और असफल सिद्ध हुई।
- गवर्नर के पास अत्यधिक शक्तियाँ थीं।
- वास्तविक सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथ में रही।

निष्कर्ष

भारत सरकार अधिनियम, 1919 भारतीय संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण चरण था। इसने भारत में प्रतिनिधिक एवं संसदीय शासन की नींव रखी, यद्यपि भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायी शासन प्राप्त नहीं हुआ।

भारत सरकार अधिनियम, 1935

(Government of India Act, 1935)

Government of India Act 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिनियम था। यह अधिनियम Simon Commission की रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलनों तथा श्वेत पत्र (White Paper) की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था।

इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में प्रशासनिक सुधार करना तथा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करना था।

मुख्य विशेषताएँ

1. अखिल भारतीय संघ (All India Federation)

- भारत में संघीय व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान किया गया।
 - संघ में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल करने की योजना थी।
 - हालांकि यह संघ पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सका।
-

2. प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy)

- प्रांतों में द्वैध शासन (Diarchy) समाप्त कर दिया गया।
 - प्रांतीय मंत्रियों को अधिक अधिकार दिए गए।
 - प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई।
-

3. केंद्र में द्वैध शासन

- केंद्र में Diarchy लागू करने का प्रावधान किया गया।
 - रक्षा एवं विदेश नीति गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रखी गई।
-

4. संघीय न्यायालय की स्थापना

- Federal Court of India की स्थापना 1937 में की गई।
- यह केंद्र एवं प्रांतों के विवादों का निपटारा करता था।

5. द्विसदनीय विधानमंडल

- कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई।

6. मताधिकार का विस्तार

- अधिक लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया।
- फिर भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू नहीं था।

7. पृथक निर्वाचन प्रणाली

- विभिन्न समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली जारी रखी गई।

महत्व

- भारतीय संविधान का आधार माना जाता है।
- संघीय शासन व्यवस्था की नींव रखी गई।
- प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा मिला।
- न्यायपालिका के विकास में सहायता मिली।

दोष

- गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों के पास अत्यधिक शक्तियाँ थीं।
- संघीय योजना व्यवहार में लागू नहीं हो सकी।
- पृथक निर्वाचन प्रणाली से साम्प्रदायिकता बढ़ी।

निष्कर्ष

भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसने संघीय शासन, प्रांतीय स्वायत्तता तथा न्यायिक व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आगे चलकर भारतीय संविधान के निर्माण का आधार बना।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

(Indian Independence Act, 1947)

Indian Independence Act 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित वह ऐतिहासिक अधिनियम था जिसके द्वारा भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्रदान की गई। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ और 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ।

यह अधिनियम Clement Attlee की सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा Louis Mountbatten की योजना (Mountbatten Plan) पर आधारित था।

मुख्य विशेषताएँ

1. भारत का विभाजन

- ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन में विभाजित किया गया—
 1. India
 2. Pakistan

2. ब्रिटिश शासन का अंत

- भारत पर ब्रिटिश संसद की संप्रभुता समाप्त कर दी गई।
- भारत और पाकिस्तान को पूर्ण विधायी स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

3. गवर्नर जनरल की नियुक्ति

- प्रत्येक डोमिनियन में गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाना था।
- गवर्नर जनरल अपने-अपने देश के मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करेगा।

4. देशी रियासतों की स्थिति

- ब्रिटिश सरकार की परमाउंटसी समाप्त कर दी गई।
- देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय अथवा स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया।

5. संविधान सभा की शक्तियाँ

- संविधान सभा को संविधान बनाने तथा विधायिका के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया।

6. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद समाप्त

- भारत सचिव (Secretary of State for India) का पद समाप्त कर दिया गया।
-

महत्त्व

- लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन का अंत हुआ।
 - भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हुआ।
 - भारतीय संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।
 - लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की नींव पड़ी।
-

दोष

- भारत का विभाजन होने से व्यापक दंगे एवं हिंसा हुई।
 - लाखों लोगों का विस्थापन हुआ।
-

निष्कर्ष

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 भारतीय इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसने भारत को स्वतंत्रता प्रदान की तथा आधुनिक लोकतांत्रिक भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

भारतीय संविधान निर्माण की कहानी

(The Story of Framing of Indian Constitution)

Constitution of India विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका निर्माण भारत की स्वतंत्रता के बाद देश को एक लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक एवं न्यायपूर्ण राज्य बनाने के उद्देश्य से किया गया। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया लंबी, विचारपूर्ण तथा ऐतिहासिक थी।

संविधान सभा की स्थापना

संविधान सभा की स्थापना Cabinet Mission Plan के अंतर्गत 1946 में की गई।

गठन

- संविधान सभा में कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे।
- विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई।

प्रथम बैठक

- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई।
- Sachchidananda Sinha को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया।
- बाद में Rajendra Prasad संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए।

प्रारूप समिति (Drafting Committee)

29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया।

अध्यक्ष

B. R. Ambedkar को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए उन्हें "भारतीय संविधान के शिल्पकार" कहा जाता है।

अन्य सदस्य

- एन. गोपालस्वामी आयंगर
- अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
- के. एम. मुंशी
- मोहम्मद सादुल्ला आदि।

संविधान निर्माण की प्रक्रिया

1. उद्देशिका प्रस्ताव (Objective Resolution)

Jawaharlal Nehru ने 13 दिसम्बर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना।

2. विभिन्न समितियों का गठन

संविधान सभा ने विभिन्न विषयों के लिए अनेक समितियाँ बनाई, जैसे—

- संघ शक्ति समिति
- मौलिक अधिकार समिति
- प्रांतीय संविधान समिति आदि।

3. प्रारूप संविधान

- प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया।
- जनता से सुझाव एवं आलोचनाएँ आमंत्रित की गईं।

4. संविधान पर बहस

- संविधान सभा में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक बहस हुई।

- संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत चर्चा की गई।

संविधान का अंगीकरण

- संविधान 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत (Adopt) किया गया।
- 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
- इस दिन भारत एक "गणराज्य" बना।

संविधान की विशेषताएँ

- लिखित एवं विस्तृत संविधान
- संसदीय शासन प्रणाली
- संघीय व्यवस्था
- मौलिक अधिकार
- राज्य के नीति निर्देशक तत्व
- स्वतंत्र न्यायपालिका

संविधान निर्माण का महत्व

- भारत को लोकतांत्रिक आधार मिला।
- नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हुए।
- सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में से एक थी। संविधान सभा ने गहन विचार-विमर्श और राष्ट्रीय आदर्शों के आधार पर ऐसा संविधान बनाया, जो भारत की एकता, लोकतंत्र और न्याय का आधार है।

*****=====*****=====